कार्यालय वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद आजमगढ़

सी.यू.जी. – 9454400250, दूरभाष- 05462-260403, ई-मेल- spazh-up@nic.in

पत्र संख्या- 07/2026

प्रेस-नोट, जनपद आजमगढ़

दिनांक- 04.01.2026

डॉ0 अनिल कुमार, पुलिस वरिष्ठ अधीक्षक, आजमगढ़ के निर्देशन में अपराध व अपराधियों पर अंकुश एवं प्रभावी नियन्त्रण बनाये रखने हेतु अभियान के क्रम में आज दिनांक- 04.01.2026 को आजमगढ़ पुलिस द्वारा निम्नवत कार्यवाहियां की गयी-

प्रेस नोट

थाना – जीयनपुर, जनपद आजमगढ़

अंतर्जनपदीय शातिर चोर बिना नंबर प्लेट की कार व तमंचा–कारतूस के साथ वाहन चेकिंग के दौरान गिरफ्तार

घटना का संक्षिप्त विवरण / अनावरण –

दिनांक 03.01.2026 को वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ द्वारा वांछित/वारण्टी अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाए जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक (ग्रामीण) एवं क्षेत्राधिकारी सगड़ी के कुशल निर्देशन तथा प्रभारी निरीक्षक राजकुमार सिंह के नेतृत्व में उ0नि0 जाफर खान मय हमराहगण के ग्राम जमसर क्षेत्र में संदिग्ध व्यक्ति/वाहन चेकिंग में मामूर थे।

➡ इसी दौरान मुखबिर खास से सूचना प्राप्त हुई कि एक व्यक्ति दोहरीघाट की ओर से बिना नंबर प्लेट की स्विफ्ट डिजायर कार से किसी आपराधिक घटना को अंजाम देने के उद्देश्य से आ रहा है। सूचना पर तत्काल कार्रवाई करते हुए गडेरुआ जाने वाले मार्ग पर दिनांक 03.01.2026 को समय करीब 23.52 बजे एक बिना नंबर प्लेट की स्विफ्ट डिजायर कार को घेराबंदी कर रोका गया।

➡ वाहन में बैठे व्यक्ति से पूछताछ करने पर उसने अपना नाम कृष्णा गोंड पुत्र जयप्रकाश गोड, निवासी युसुफपुर, थाना मधुबन, जनपद मऊ बताया। जामा तलाशी के दौरान अभियुक्त के पैंट के कमर के फेंटे से एक अदद तमंचा .315 बोर एवं एक अदद जिंदा कारतूस .315 बोर बरामद हुआ। मौके पर ही अभियुक्त को गिरफ्तार करते हुए बिना नंबर प्लेट की स्विफ्ट डिजायर कार को सीज किया गया।

➡ बरामदगी के आधार पर थाना जीयनपुर पर मु0अ0सं0 10/2026 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट पंजीकृत कर आवश्यक विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण –

नाम – कृष्णा गोंड पुत्र जयप्रकाश गोड निवासी – युसुफपुर, थाना मधुबन, जनपद मऊ उम्र – लगभग 21 वर्ष

बरामदगी का विवरण –

- एक अदद तमंचा .315 बोर
- एक अदद जिंदा कारतूस .315 बोर
- एक अदद बिना नंबर प्लेट की चार पहिया वाहन (स्विफ्ट डिजायर)

पंजीकृत अभियोग –

मु0अ0सं0 10/2026 धारा – 3/25 आर्म्स एक्ट थाना – जीयनपुर, जनपद आजमगढ़

अभियुक्त का आपराधिक इतिहास –

अभियुक्त एक अंतर्जनपदीय शातिर चोर है, जिसके विरुद्ध विभिन्न जनपदों में निम्न अभियोग पंजीकृत हैं –

1. मु0अ0सं0 10/2026 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट, थाना जीयनपुर, आजमगढ़
2. मु0अ0सं0 92/2022 धारा 379/411 भा0द0वि0, थाना भीमपुरा, बलिया
3. मु0अ0सं0 104/2022 धारा 379/411 भा0द0वि0, थाना उभाव, बलिया
4. मु0अ0सं0 290/2025 धारा 303(2), 317(2), थाना घोसी, जनपद मऊ

गिरफ्तारी करने वाली पुलिस टीम –

उ0नि0 जाफर खान, चौकी प्रभारी लाटघाट मय हमराह थाना जीयनपुर, जनपद आजमगढ़

थाना सिधारी, जनपद आजमगढ़

साइबर ठगी के शिकार स्वास्थ्य विभाग कर्मी की ₹25,000 की धनराशि त्वरित पुलिस कार्रवाई से वापस कराई गई

घटना का विवरण –

आवेदक श्री उमेश कुमार भारती पुत्र जनक कुमार, निवासी पल्हनी, थाना सिधारी, जनपद आजमगढ़, जो पेशे से स्वास्थ्य विभाग में कर्मी हैं, द्वारा अपने एक मित्र को ₹25,000/- की धनराशि पेटीएम के माध्यम से प्रेषित की गई थी, किंतु त्रुटिवश उक्त धनराशि किसी अन्य व्यक्ति के खाते में स्थानांतरित हो गई।

➡ इस संबंध में आवेदक द्वारा साइबर शिकायत दर्ज कराई गई, जिस पर थाना सिधारी की साइबर टीम द्वारा साइबर सेल आजमगढ़ से तकनीकी सहयोग प्राप्त करते हुए त्वरित व प्रभावी कार्रवाई की गई। नियमानुसार आवश्यक प्रक्रिया पूर्ण करने के उपरांत आवेदक श्री उमेश कुमार भारती की ₹25,000/- की धनराशि पीड़ित के खाते में सफलतापूर्वक वापस कराई गई।

जागरूकता संदेश –

आवेदक को साइबर अपराधों के प्रति जागरूक करते हुए बताया गया कि किसी भी फर्जी कॉलर के साथ अपनी निजी जानकारी अथवा ओटीपी साझा न करें। यदि किसी प्रकार की साइबर ठगी होती है तो उसकी तत्काल सूचना साइबर हेल्पलाइन नंबर 1930, वेबसाइट www.cybercrime.gov.in अथवा अपने नजदीकी पुलिस स्टेशन स्थित साइबर हेल्प डेस्क पर दें।

पुलिस टीम का विवरण –

उ0नि0 विधनेश वर्मा

उ0नि0 नीतीश सिंह

हे0का0 शैलेश कुमार

का0 महेश कुमार

म0आ0 रीना यादव

थाना सिधारी, जनपद आजमगढ़

थाना निजामाबाद, जनपद आजमगढ़

साइबर फ्रॉड का शिकार व्यक्ति की ₹25,000 की धनराशि त्वरित पुलिस कार्रवाई से वापस कराई गई

घटना का संक्षिप्त विवरण –

आवेदक मो0 युसुफ खान पुत्र मो0 गुलजार खान, निवासी चकिया हुसैनाबाद, पोस्ट बड़ागांव, थाना निजामाबाद, जनपद आजमगढ़ द्वारा दिनांक 06.12.2025 को फरिहा जनसेवा केंद्र से एटीएम के माध्यम से ₹25,000/- की धनराशि निकाली गई थी। इसके अगले दिन दिनांक 07.12.2025 को आवेदक के खाते से ₹25,000/- की अतिरिक्त धनराशि अनधिकृत रूप से कट गई।

➡ उक्त संबंध में आवेदक द्वारा दिनांक 08.12.2025 को NCRP पोर्टल पर शिकायत संख्या 231122XXXXXXXXX दर्ज कराई गई। शिकायत प्राप्त होने पर थाना निजामाबाद की साइबर टीम द्वारा तत्परता दिखाते हुए तकनीकी जांच एवं नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही की गई, जिसके परिणामस्वरूप ₹25,000/- की धनराशि आवेदक के खाते में सफलतापूर्वक वापस कराई गई।

जागरूकता संदेश –

जनसामान्य को साइबर अपराधों के प्रति जागरूक करते हुए अपील की जाती है कि किसी भी अज्ञात कॉल, लिंक अथवा ओटीपी को साझा न करें। किसी भी प्रकार की साइबर ठगी की स्थिति में तत्काल साइबर हेल्पलाइन नंबर 1930 अथवा NCRP पोर्टल पर शिकायत दर्ज करें।

साइबर टीम का विवरण –

उ0नि0 दिलीप आनंद

उ0नि0 चित्रांशु मिश्रा

का0 राकेश यादव

का0 संदेश सिंह म0आ0 रेनू देवी थाना निजामाबाद, जनपद आजमगढ़

प्रेस नोट

थाना – गम्भीरपुर | जनपद – आजमगढ़

दिनांक – 04.01.2025

आत्महत्या के लिए दुष्प्रेरित करने के मामले में वांछित अभियुक्ता गिरफ्तार

पूर्व की घटना का संक्षिप्त विवरण:-

दिनांक **12.10.2024** को वादी थाना गम्भीरपुर, जनपद आजमगढ़ द्वारा थाना स्थानीय पर प्रार्थना पत्र दिया गया कि उनकी पुत्री कुछ लोगों द्वारा मानसिक व शारीरिक रूप से प्रताड़ित किया गया। प्रताड़ना से क्षुब्ध होकर वादी की पुत्री द्वारा दिनांक **10.10.2024** को आत्महत्या कर ली गई। उक्त प्रकरण के संबंध में थाना गम्भीरपुर पर **मु0अ0सं0 380/2024**, धारा **108 बीएनएस**, (दिनांक घटना 06.10.2024 से 10.10.2024) पंजीकृत किया गया। विवेचना के दौरान अभियुक्ता **पूजा पत्नी लखेन्दर** का नाम प्रकाश में आया, जो गिरफ्तारी से फरार चल रही थी।

गिरफ्तारी का विवरण:-

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ द्वारा चलाए जा रहे वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी अभियान के क्रम में, सहायक पुलिस अधीक्षक/क्षेत्राधिकारी सदर के निर्देशन तथा थानाध्यक्ष गम्भीरपुर के नेतृत्व में दिनांक **04.01.2025** को—**समय लगभग 12:10 बजे, मुहम्मदपुर फरिया मोड़**, से मुकदमा उपरोक्त में वांछित अभियुक्ता **पूजा पत्नी लखेन्दर** को गिरफ्तार किया गया। अन्य अग्रिम विधिक कार्यवाही प्रचलित है।

गिरफ्तार अभियुक्ता का विवरण:-

01. पूजा पत्नी लखेन्दर, निवासी ग्राम फैजुल्लाहपुर, थाना गम्भीरपुर, जनपद आजमगढ़।

पंजीकृत अभियोग:-

01. मु0अ0सं0 **380/2024**, धारा **108 बीएनएस**, थाना **गम्भीरपुर**, जनपद **आजमगढ़**।

गिरफ्तारी करने वाली पुलिस टीम:-

1. उ0नि0 **योगेश सरोज** – थाना गम्भीरपुर, जनपद आजमगढ़।
2. म0का0 **श्रुति पाठक** – थाना गम्भीरपुर, जनपद आजमगढ़।
3. म0का0 **प्रियंका गुप्ता** – थाना गम्भीरपुर, जनपद आजमगढ़।

प्रेस नोट

थाना – महराजगंज | जनपद – आजमगढ़

मिशन शक्ति अभियान के तहत किशोरी के अपहरण व दुष्कर्म के प्रकरण में 01 अभियुक्त गिरफ्तार, 02 बाल अपचारी पुलिस अभिरक्षा में लिये गये।

घटना का संक्षिप्त विवरण (दिनांक सहित):-

दिनांक **03.12.2025** को स्कूल जाते समय एक युवती को रास्ते से बहला-फुसलाकर भगा ले जाने की घटना के संबंध में थाना महराजगंज पर मु0अ0सं0 319/25, धारा **137(2), 64(2)(ड), 65(1) बीएनएस, 5एल(6)/16/17 पॉक्सो एक्ट** एवं **3(5), 3 उ0प्र0 धर्म परिवर्तन प्रतिषेध अधिनियम का** अभियोग पंजीकृत किया गया।

गिरफ्तारी / विधिक कार्यवाही का विवरण:-

दिनांक **04.01.2026** को वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ के निर्देशन, अपर पुलिस अधीक्षक (ग्रामीण) एवं क्षेत्राधिकारी सगड़ी के पर्यवेक्षण में— **समय लगभग 08:00 बजे** ग्राम बीबीगंज, थाना दीदारगंज से अभियुक्त **इमरान उर्फ इबरान** को गिरफ्तार किया

गया तथा **समय लगभग 08:30 बजे** संबंधित **एक किशोर व समय लगभग 10:40 बजे एक किशोरी (उम्र 17 वर्ष)** को नियमानुसार पुलिस अभिरक्षा में लिया गया। अन्य अग्रिम विधिक कार्यवाही प्रचलित है।

पंजीकृत अभियोग:-

01. मु0अ0सं0 **319/25**, धारा **137(2), 64(2)(ड), 65(1) बीएनएस**, **5एल(6)/16/17 पॉक्सो एक्ट** एवं **3(5), 3 उ0प्र0 धर्म परिवर्तन प्रतिषेध अधिनियम**, थाना **महराजगंज**, जनपद **आजमगढ़**।

गिरफ्तार / अभिरक्षित व्यक्तियों का विवरण:-

1. **इमरान उर्फ इबरान**, पुत्र कमालुद्दीन, निवासी बीबीगंज, थाना दीदारगंज, जनपद आजमगढ़ – *उम्र 19 वर्ष* (गिरफ्तार)
2. **एक किशोर** व **एक किशोरी को नियमानुसार** पुलिस अभिरक्षा में लिया गया।

कार्यवाही करने वाली पुलिस टीम:-

- उ0नि0 **संतोष कुमार**(थाना – महराजगंज, जनपद – आजमगढ़)
- का0 **अखिलेश यादव**(थाना – महराजगंज, जनपद – आजमगढ़)
- का0 **मिथलेश पासवान**(थाना – महराजगंज, जनपद – आजमगढ़)
- म0का0 **जया द्विवेदी** (थाना – महराजगंज, जनपद – आजमगढ़)

प्रेस नोट

जनपद – आजमगढ़

सड़क सुरक्षा को लेकर पुलिस की प्रभावी पहल क्रिटिकल कॉरिडोर पर एनएचएआई के सहयोग से सफेद पट्टी बनाये जाने का कार्य किया गया।

*वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ **डॉ0 अनिल कुमार*** के कुशल निर्देशन एवं *अपर पुलिस अधीक्षक यातायात **श्री विवेक त्रिपाठी** के पर्यवेक्षण में, क्षेत्राधिकारी लालगंज **श्री भूपेश कुमार पाण्डेय*** द्वारा यातायात पुलिस के समन्वय से जनपद के ***क्रिटिकल कॉरिडोर*** पर ***एनएचएआई के सहयोग से सड़क पर सफेद पट्टी (रोड मार्किंग)*** का कार्य कराया गया।

इस कार्य का मुख्य उद्देश्य सड़क पर लेन अनुशासन को सुदृढ़ करना, वाहन चालकों को मार्ग की स्पष्ट जानकारी देना तथा दुर्घटना संभावित स्थानों पर होने वाली सड़क दुर्घटनाओं में प्रभावी रूप से कमी लाना है। सफेद पट्टी के माध्यम से विशेषकर रात्रि के समय एवं कम दृश्यता की स्थिति में वाहनों का आवागमन अधिक सुरक्षित होगा।

जनपद आजमगढ़ पुलिस द्वारा सड़क सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए निरंतर ऐसे उपाय किए जा रहे हैं, जिससे आम नागरिकों की जान-माल की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके।

आजमगढ़ पुलिस आमजन से अपील करती है कि यातायात नियमों का पालन करें, निर्धारित लेन में वाहन चलाएँ तथा सुरक्षित गति बनाए रखें।

प्रेस नोट

मिशन शक्ति अभियान – फेस 5.0

जनपद – आजमगढ़ | दिनांक – 04.01.2026

परिवार परामर्श केन्द्र में 14 प्रकरणों की सुनवाई** 02 पत्रावलियों **में पति–पत्नी द्वारा आपसी कुशलता प्रकट की गई,** 02 पत्रावलियों **में काउंसलिंग टीम द्वारा अथक प्रयास कर पक्षकारों को समझा–बुझाकर आपसी** समझौता **कराया गया।

मिशन शक्ति अभियान ***फेस–5.0*** के अंतर्गत आज दिनांक ***04.01.2026*** को परिवार परामर्श केन्द्र में प्राप्त ***14 पत्रावलियों*** में संबंधित पक्षों को नोटिस एवं दूरभाष के माध्यम से सुनवाई हेतु उपस्थित होने के लिए बुलाया गया।

सुनवाई के दौरान ***12 पत्रावलियों*** में पक्षकारों की उपस्थिति सुनिश्चित हुई, जिनमें—

- ***02 पत्रावलियों*** में पति–पत्नी द्वारा आपसी कुशलता प्रकट की गई।
- ***02 पत्रावलियों*** में काउंसलिंग टीम द्वारा अथक प्रयास कर पक्षकारों को समझा–बुझाकर आपसी ***समझौता*** कराया गया।

उक्त प्रकरणों में आवेदिकाओं द्वारा दहेज की मांग, मारपीट, गाली–गलौज, प्रताड़ना एवं बच्चों के भरण–पोषण न करने से संबंधित आरोप लगाए गए थे।

इसके अतिरिक्त, ***04 पत्रावलियां*** माननीय न्यायालय में विचाराधीन होने के कारण बंद की गई। शेष प्रकरणों में पक्षकारों को ***अग्रिम सुनवाई की तिथि*** से अवगत कराया गया।

जनपद पुलिस द्वारा मिशन शक्ति अभियान के अंतर्गत महिलाओं की सुरक्षा, सम्मान एवं पारिवारिक विवादों के शांतिपूर्ण समाधान हेतु निरंतर प्रयास किए जा रहे हैं।